5.08 - हिरास

कार्य का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में जमराड़ी बैण्ड से बेलवाल गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण। (ल0 3.00 किमी0)

> वन अधिकार अधिनियम, २००६ के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत का नाम **बेलवाल जांव**

तहसील व जिला-अल्मोड़ा अनापत्ति प्रमाण पत्र

Gram Panchavat - Laborate Black-Bhainsiyachnana(Aimora)

क्षाम पंचायत ब्रंगी हिं ल - मेरियां छोना जिला-अस्मारी ग्रास प्रधान उनाधापुरी प्रधाः पंचायत वेसवास्थान

18.05.2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति दिनांक

ग्राम पंचायत बैलवाल गांव

कुमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
. 01	मोहन सिंह पुत्र स्वः अत्रोह सिंह	A D
02	महेंद्र सिंह पुन स्व: अशोद सिंह	महेन्प्रसिष्ट
0.3	महिवाल सिंह पुत्र दतः मदन सिंह	Barry
04	दान सिंह युन स्व' पदम सिंह	CITIES
05	दीवान सिंह पुत्र स्वः पदम सिंह	स्विमार्स्स हराष्ट्रीय
06	रमेरा सिंह पुन दी वान सिंह	C. C
07	हरीश चंद्रासिंह पुत्र दान सिंह	Asse
08	गोवाल सिंह पुम दवः केशर सिंह	गापाल सिंह
09	दीवान सिंह पुत्र जीपाल सिंह	A.O.
16	श्रीमती अंगित देवी पत्नी दीवान सिंह	हीवान सिंह
	ष्टीमती बसंती देवी पत्नी स्वः मदन सिंह	विभागी

WHITOTO

Gram Panchavat, Edosalgern, Biock-Bhainsivachhana(Aimora)

धाम पंचायत रेखपालगांव वि॰ व॰-भीस्याछाना जिला-बल्मोडा

प्रपत्र-30.4

दिनांक 18-05-2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	यसन्त सिंह नेगी	Bonayi
2-	वलव-तिहा	य्वीमासिट
2-		,
4-	अभर सिंह	Asingly
5-	च-द्रासिष्ट	-जन्द्राहिट
6-	मंड्या लाल	मस्रा लाल
7-	भीम भिट्ट	<u> जीनासिंह</u>
	!	
*		
		0

भ्यान जयान वाव पंचायत बूंगा वि. व.-पंतियांछावा विवा-यहमाडा कार्य का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में जमराड़ी बैण्ड से बेलवाल गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण। (ल0 3.00 किमी0)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, अल्मोड़ा

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण—पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, अल्मोड़ा

उपखण्ड अल्मोड़ा परिक्षेत्र के जनपद अल्मोड़ा में जमराड़ी बैण्ड से बेलवाल गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण (ल0 3.00 किमी०) के निर्माण हेतु सिविल भूमि 0.972 है0 वन भूमि, का निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत रूपखण्ड स्तरीय सिमित, (तहसील अल्मोड़ा) की दिनांक 18.05 2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:--

अनुसूचित जनजाति और अन्य प्रम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्रीमती रिंकू बिष्ट, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1— श्रीमती **रिंकू बिष्ट,** उपजिलाधिकारी, अल्मोड़ा, अध्यक्ष
- 2— श्री अस्त्राह्म देनार्थ उप प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा, सदस्य
- 4- श्री रिति कुमार बीठडीठसीठ क्षेत्र हटीला सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमित से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत करावा गया कि जनपद अल्मोड़ा में जमराड़ी बैण्ड से बेलवाल गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण (ल0 3.00 किमी०) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजिनक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशसा की गई है। संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल सोयम, वन प्रभाग, अल्मोड़ा, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण ये उपखण्ड स्तरीय तन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मित से उपखण्ड अल्मोड़ा परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में जमराड़ी बैण्ड से बेलवाल गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण (ल0 3.00 किमी०) के निर्माण हेतु 0.972 है0. भूमे, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमित व्यक्त की गयी।

a1'

उप जिलाम्बिकारी / अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील व जनपद अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अत्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील व जनपद अल्मोड़ा

FORM-II Government of Uttarakhand

Office of the District Collector: Almora

No	Dated 01-10-2015
1 10	

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes, It is certified that 0.972 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Construction Division P.W.D. Almora for Construction of Jamradi bend to belwal gaon Motor Road (3.00 km.) in Almora district falls within jurisdiction of Chana Jamradi, Naugaon, Belwal gaon Village (s) in Almora tahsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire 0.972 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure to annexure
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA. : YES
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that they have given t heir consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of ChanaJamradi, Naugaon, Belwal gaon villages (s) is enclosed as annexure 3.
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was s quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES
- (f) The rights of primitive tribal groups and pre-agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA: NA

Encl: As above

Vinod kumar Suman
District Collector, Almora

विवा समाज केल्याण अधिकारी अस्योड़ा

FORM-1

Government of Uttarakhand Office of the District Collector: Almora

No	Dated 01-10-2015
----	------------------

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF.s letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 0.972 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Construction Division P.W.D. Almora for Construction of Jamradi bend to belwal gaon Motor Road (3.00 km.) in Almora district falls within jurisdiction of Chana Jamradi, Naugaon, Belwal gaon Village (s) in Almora tahsils.

It is further certified that:

- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.:-YES
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Preagricultural at communities.:-YES

Encl: As above

Vinod kumar Suman
District Collector, Almora

विचा समाज कल्याम अधिकारी

शत्योदा

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT ALMORA (U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Almora

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

01.10/5

DATE:

विज्ञा समाज कल्याण अधिकारी श्रहमोड्डा

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

E-mail-eecdalmorapwd@rediffmail.com

Ph. No.- 05962-230091

पत्रांक 3216 / 3सी (व.भू)

दिनांक

79/12/2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम, वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

विषय:-

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत जमराड़ी बैण्ड से बेलवाल गांव तक मोटर मार्ग के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

आपका कार्यालय पत्रांक-मैमो / 12-1 दि० २६.१२.२०१६ ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा विषयगतन्त्रभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में नोडल अधिकारी, देहरादून द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निम्नवत् है—

प्रश्न	उत्तर
The village level committee proceeding for villages through which the proposed alignment is passing is not provided with the FRA certificate uploaded in online Part I. VLC proceeding provided pertaining to only one village while the proposal as per village wise breakup involved boundary of two.	

भवदीय,

र्मे अधिशासी अभियन्ता, निर्माण्।खण्ड, लो०नि०विभाग, अल्मोड़ा